**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 643**

**17 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए**

**सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण**

**643. श्री राजमणि पटेल :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित बजट और इस पर हुए वास्तविक खर्च का ब्यौरा क्या है;
2. क्या सशस्त्र बलों के लिए हथियारों के उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;
3. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
4. हमारे पड़ोसियों द्वारा लगातार दी जा रही सैन्य धमकियों को देखते हुए, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (घ): एक विवरण संलग्न है ।

**" सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 643 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रक्षा सेवा प्राक्कलन (डीएसई) शीर्ष के अंतर्गत सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण (पूंजीगत अर्जन) के लिए आवंटित बजट और इस पर हुए वास्तविक खर्च को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:-

**(करोड़ रुपए में)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | आशोधित विनियोजन | व्यय |
| 2015-16 | 77,406.69 | 65,400.00 | 61,699.39 | 62,235.54 |
| 2016-17# | 69,898.51 | 62,619.36 | 64,853.86 | 69,280.16 |
| 2017-18\* | 69,473.41 | 68,965.24 | 68,980.89 | 72,732.20 |
| 2018-19 | 74,115.99 | … | … | 54,230.94 |

(# आंकड़े एमएफ, ईसीएचएस, डीजीक्यूए, एनसीसी, आरआर, डीजीओएफ और आरएंडडी को छोड़कर)

(\* आंकड़े एमएफ और ईसीएचएस को छोड़कर)

(वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध में व्यय नवंबर, 2018 तक)

(ख) और (ग): मई, 2001 में रक्षा उद्योग क्षेत्र जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, को भारतीय निजी क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तक की भागीदारी हेतु खोल दिया गया था जो 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ था व दोनों लाइसेंसिंग के शर्ताधीन हैं । इसके अलावा, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को अधिसूचित किया है जिसके अंतर्गत स्वचालित रूट से 49 प्रतिशत तक और सरकारी रूट के माध्यम से 49 प्रतिशत से ऊपर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमत किया है जहां कहीं भी इसके परिणामस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होने की संभावना हो अथवा अन्य कारणों से जिन्हें रिकार्ड किया जाना होगा ।

सैन्य बलों के लिए रक्षा उपस्करों जैसे कि हेलीकॉप्टर, निगरानी जलयान, रडार, बैलिस्टिक हेलमेट, आर्टिलरी गन, सिम्यूलेटर्स, प्रक्षेपास्त्र, बुलेट प्रूफ जैकेट, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजों और गोला-बारूद की अधिप्राप्ति हेतु विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्तूबर, 2018 तक) के दौरान कुल 188 संविदाओं में से 121 संविदाओं पर हस्ताक्षर भारतीय विक्रेताओं के साथ किए गए हैं ।

(घ): सरकार नए उपस्करों की अधिप्राप्ति और मौजूदा उपस्करों एवं प्रणालियों के उन्नयन के माध्यम से सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का उपाय कर रही है । अनुमोदित पूंजीगत अधिग्रहण योजनाओं और विद्यमान रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के संदर्भ के अनुसार आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है ।

\*\*\*\*\*